सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला
(बर्माामाइंस, जमशेदपुर, झारखंड-831007
वेबसाइट- https://www.nml.res.in
हेल्पलाइन: फ़ोन: 0657-2345158
ईमेल: recruitment2025@admn.nml.in

भर्ती विज्ञापन संख्या : 02/2025

<u>कनिष्ठ आशुलिपिक एवं कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सा./वि. व ले./भं. व क्र.) की भर्ती</u>

ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि: 06.05.2025 {11:00 बजे (भारतीय मानक समय) से}
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 30.05.2025 {17:00 बजे (भारतीय मानक समय) तक}

सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. का प्रयास है कि ऐसा कार्यबल हो जो लैंगिक संतुलन को प्रतिबिंबित करे और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एन.एम.एल.), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की एक घटक प्रयोगशाला है, जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, यह धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए समर्पित एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है। अपने आधुनिक और व्यापक बुनियादी ढांचे और वैज्ञानिक एवं तकनीकी जनशक्ति की विशेषज्ञता के बड़े स्पेक्ट्रम के साथ, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. मुख्य रूप से राष्ट्रीय हित और उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान के प्रदर्शन के साथ औद्योगिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों में लगा हुआ है।

सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला निम्नलिखित ग्रुप 'सी' पदों को भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है:

पोस्ट कोड	पद का नाम	पदों की संख्या एवं आरक्षण	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान	आवश्यक योग्यताएं	*ऊपरी आयु सीमा
जे 01	**कनिष्ठ आशुलिपिक**	पदों की संख्या: 08 [अनारक्षित: 05; ई.डब्ल्यू.एस.: 01; अनुसूचित जाति: 01; अनुसूचित जनजाति: 01]	लेवल-4 [रु. 25,500-81,100] **(कुल पारिश्रमिक:** रु.46800/-प्रतिमाह [लगभग])**	10+2/XII या इसके समकक्ष और समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आशुलिपि में दक्षता	27 वर्ष
ए 01	**कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सा.)**	पदों की संख्या: 05 [अनारक्षित: 03 ; ई.डब्ल्यू.एस.: 01; अनुसूचित जनजाति: 01]	लेवल-2 [रु.19,900-63,200] **(कुल पारिश्रमिक:** रु.35,000/-प्रतिमाह [लगभग])**	10+2/XII या इसके समकक्ष तथा समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कम्प्यूटर टाइप की गति एवं कम्प्यूटर का प्रयोग करने में दक्षता	28 वर्ष
	कनिष्ठ सचिवालय सहायक (वि. व ले.)	पदों की संख्या: 04 [अनारक्षित: 03 ; अनुसूचित जनजाति: 01]			
	कनिष्ठ सचिवालय सहायक (भं. व क्र.)	पदों की संख्या: 04 [अनारक्षित: 03 ; अनुसूचित जनजाति: 01]			

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर: अना.- अनारक्षित **, ई.डब्ल्यू.एस.**- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **, अ.जा.**- अनुसूचित जाति **, अ.ज.जा.**- अनुसूचित जनजाति **, सा.**- सामान्य, **भं. व क्र.**- भंडार व क्रय, **वि. व ले.**- वित्त व लेखा; **डीओपीटी** : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार।
ऊपर्युक्त पोस्ट कोड 'ए' 01 के अंतर्गत कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सा./वि. व ले./भं. व क्र.) के 13 पदों में से एक पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। **कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सा./वि. व ले./भं. व क्र.) और कनिष्ठ आशुलिपिक के** सभी **21 पदों में से एक पद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए श्रेणी [बी-ब्लाइंड]/एलवी-लो विजन] के तहत आरक्षित है।**
नोट: प्रत्येक पोस्ट कोड के सामने दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है।

अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व./ई.डब्ल्यू.एस./पीडब्ल्यूबीडी या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु-छूट इत्यादि के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि, साथ ही आयु, योग्यता और अनुभव आदि का निर्धारण, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

*कृपया विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट के लिए छूट खंड देखें।

**कुल परिलब्धियों का तात्पर्य न्यूनतम वेतनमान पर प्रतिमाह अनुमानित कुल परिलब्धियों से है, जिसमें नियमानुसार 'वाई' श्रेणी के शहर में स्वीकार्य मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता भी शामिल है।

A. कनिष्ठ अशुलिपिक [पोस्ट कोड: जे 01]

1. आवश्यक योग्यताएं:

10+2/XII या इसके समकक्ष तथा समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आशुलिपि में दक्षता।

2. चयन प्रक्रिया:

सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. के निदेशक द्वारा विधिवत गठित एक समिति इस विज्ञापन की योग्यता, नियम और शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी। हालाँकि, विस्तृत जाँच केवल अंतिम चयन के समय ही की जाएगी।

चयन प्रतियोगी लिखित परीक्षा और आशुलिपि (स्टेनोग्राफी) में प्रवीणता परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा जो कि अर्हक (क्वालिफ़ाइंग) प्रकृति की है। लिखित परीक्षा की योजना का विवरण नीचे दिया गया है:

2.1. कनिष्ठ आशुलिपिक के लिए प्रतियोगी लिखित परीक्षा की योजना:

परीक्षा का तरीका	ओ.एम.आर. आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय परीक्षा
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे
परीक्षा का स्तर	10+2 / बारहवीं
प्रश्नों की कुल संख्या	200
कुल आवंटित समय	2 घंटे (स्क्राइब लेखन के लिए पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे 40 मिनट)

2.2. कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के लिए प्रतियोगी लिखित परीक्षा में केवल एक पेपर होगा जिसके तीन भाग होंगे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
I	सामान्य बुद्धि एवं तर्क	50	50	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे

II	सामान्य जागरूकता	50	50	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे
III	अंग्रेजी भाषा और समझ	100	100	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे

2.3. आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा:

कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिंदी (जैसा कि उम्मीदवारों ने अपने आवेदन पत्र में चुना है) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का एक श्रुतलेख (डिक्टेशन) दिया जाएगा। प्रतिलेखन का समय इस प्रकार है:

क्रम सं.	कौशल परीक्षण की भाषा	समय अवधि (मिनटों में)	स्क्राइब लेखन के लिए पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समय अवधि (मिनटों में)
1.	अंग्रेज़ी	50	70
2.	हिन्दी	65	90

2.4. मेधा (मेरिट) सूची का निर्धारण:

i. आशुलिपि में दक्षता केवल अर्हक प्रकृति की होगी।
ii. अंतिम मेधा सूची प्रतियोगी लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।
iii. मेधा सूची में केवल वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने आशुलिपि (स्टेनोग्राफी) में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

2.5. प्रतियोगी लिखित परीक्षा और आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा आयोजित करने का क्रम/अनुक्रम: आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा के बाद प्रतियोगी लिखित परीक्षा या इसके विपरीत आयोजित करने का क्रम/अनुक्रम चयन समिति द्वारा तय किया जाएगा और इससे संबंधित जानकारी के लिए सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. की वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

2.6. कनिष्ठ आशुलिपिक के पदों के लिए जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों ने समान कुल अंक प्राप्त किए हैं, वहां बराबरी के मामलों के समाधान की प्रक्रिया:

i. प्रतियोगी लिखित परीक्षा में कम नकारात्मक अंक पाने वाले उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाएगा;
ii. जन्म तिथि, जिसमें अधिक आयु वाले उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाएगा;
iii. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पहले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया गया;
iv. अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का वर्णानुक्रम।

B. कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सा./वि. व ले./भं. व क्र.)

1. आवश्यक योग्यताएं:

10+2/XII या इसके समकक्ष तथा समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कम्प्यूटर टंकण गति में दक्षता और कम्प्यूटर का प्रयोग करने में दक्षता।

2. चयन प्रक्रिया:

सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. के निदेशक द्वारा विधिवत गठित एक समिति इस विज्ञापन की योग्यता, नियम और शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी। हालाँकि, विस्तृत जाँच केवल अंतिम चयन के समय ही की जाएगी।

चयन प्रतियोगी लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टंकण में प्रवीणता परीक्षा की मेधा (मेरिट) सूची के आधार पर किया जाएगा जो कि अर्हक (क्वालिफाइंग) प्रकृति की है। लिखित परीक्षा की योजना का विवरण नीचे दिया गया है:

3. प्रतियोगी लिखित परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम:

परीक्षा का माध्यम	ओ.एम.आर. आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय परीक्षा।
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे।
परीक्षा का स्तर	10+2 / बारहवीं

3.1. इसमें दो पेपर होंगे (पेपर-I और पेपर-II)। पेपर-II का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पेपर-I में न्यूनतम सीमा अंक (चयन समिति द्वारा निर्धारित) प्राप्त करेंगे। पेपर-I अर्हक प्रकृति का है। मेधा सूची पेपर-II में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी ।

पेपर - I [आबंटित समय - 90 मिनट]

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
मानसिक क्षमता परीक्षण*	100	200 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक)	इस पेपर में कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा

*** मानसिक योग्यता परीक्षण इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि इसमें सामान्य बुद्धि, मात्रात्मक योग्यता, तर्क, समस्या समाधान, परिस्थितिजन्य निर्णय आदि को शामिल किया जाएगा।**

पेपर - II [आबंटित समय - 1 घंटा]

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
सामान्य जागरूकता	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक
अंग्रेजी भाषा	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक

4. कंप्यूटर में दक्षता परीक्षा:

अंग्रेजी टंकण @ 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण @ 30 शब्द प्रति मिनट टंकण के लिए आवंटित समय 10 मिनट होगा। 35/30 शब्द प्रति मिनट का अर्थ है 10500/9000 KDPH (प्रति घंटा कुंजी अवनमन) अर्थात प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 (पांच) कुंजी अवनमन।

ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा उल्लिखित प्रवीणता परीक्षा के माध्यम का विकल्प अंतिम होगा और प्रवीणता परीक्षा के माध्यम में बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

हिंदी/अंग्रेजी में टंकण परीक्षण की टाइपस्क्रिप्ट का मूल्यांकन:

(i) हिंदी/अंग्रेजी में टाइपराइटिंग गति की गणना करने का सूत्र:

शब्दों की संख्या (-) गलतियों की संख्या
10

(ii) अनदेखी योग्य गलतियों का प्रतिशत:

अना./अ.पि.व./अ.जा./अस्थि बाधित/दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के मामले में – **5% तक**

अ.ज.जा./श्र. बा./भू.पू.सै. (ई.एस.एम.) उम्मीदवारों के मामले में – **7% तक**

10 मिनट की टंकण जाँच के लिए उदाहरण:

टाइप किये गये कुल शब्दों की 5% गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

कुल टाइप किए गए स्ट्रोक	:	1600
टाइप किए गए शब्द	:	1600/5 = 320
गलतियाँ	:	19
अनदेखी की जाने वाली गलतियाँ	:	320 का 5% = 16
स्वीकार्य गलतियाँ	:	19 – 16 = 3

सूत्र के अनुसार : **शब्दों की संख्या (-) गलतियों की संख्या**
10

= (320/10) – 3
= 32-3
= 29 शब्द प्रति मिनट

5. मेधा सूची का निर्धारण:

i. कम्प्यूटर टंकण में दक्षता परीक्षा केवल अर्हक (क्वालिफ़ाइंग) प्रकृति की होगी।

ii. लिखित परीक्षा का पेपर-I भी अर्हक (क्वालिफ़ाइंग) प्रकृति का है। चयन समिति पेपर-I में न्यूनतम कट-ऑफ अंक तय करेगी।

iii. अंतिम मेधा सूची केवल पेपर-II में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और इसमें केवल वे उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने कंप्यूटर टंकण में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

iv. सक्षम प्राधिकारी पदों पर अंतिम चयन हेतु योग्यता निर्धारित करने के लिए न्यूनतम अर्हक अंक तय करेंगे।

v. उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरते समय कैडर वरीयता अर्थात कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सा.); कनिष्ठ सचिवालय सहायक (वि. व ले.); कनिष्ठ सचिवालय सहायक (भं. व क्र.) के लिए अपनी पसंद का चयन करना होगा जो इस चयन प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तनीय होगा। एक बार, चयन होने पर, किसी उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. द्वारा विवेक के अनुसार जो कैडर आवंटित किया जाता है, उसका अनुपालन करना होगा, जो अंतिम एवं उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

C. प्रतियोगी लिखित परीक्षा और कम्प्यूटर टाइप स्पीड तथा कम्प्यूटर के प्रयोग में दक्षता परीक्षा आयोजित करने का क्रम/अनुक्रम: कम्प्यूटर टाइप स्पीड तथा कम्प्यूटर के प्रयोग में दक्षता परीक्षा के पश्चात प्रतियोगी लिखित परीक्षा आयोजित करने का क्रम/अनुक्रम या इसके विपरीत, सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. द्वारा तय किया जाएगा तथा इसे सभी संबंधितों की जानकारी के लिए सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. की वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

D. जहां दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने समान कुल अंक प्राप्त किए हों, ऐसे मामलों के समाधान की कार्यप्रणाली (कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पदों के लिए):

I. पेपर-II में कम नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाएगा;

II. जन्म तिथि, जिसमें अधिक आयु वाले उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाएगा;

III. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पहले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया गया;

IV. अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का वर्णानुक्रम।

सामान्य जानकारी एवं शर्तें

1. परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:

A. सभी नए प्रवेशकों पर "नई पेंशन योजना" लागू होगी, जो 01.01.2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती हुए नए प्रवेशकों के लिए निर्धारित अंशदान पर आधारित है, जैसा कि सी.एस.आई.आर. ने अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया है। हालाँकि, भारत सरकार के पैटर्न पर पेंशन योजना वाले अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चुने गए व्यक्ति मौजूदा पेंशन योजना यानी सी.सी.एस. (पेंशन), नियम, 1972 (अब-2021) द्वारा शासित होते रहेंगे, यदि वे इसके अंतर्गत आते हैं।

B. इस पद पर सामान्य भत्ते यानी महंगाई भत्ता (डी.ए.), मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.), परिवहन भत्ता (टी.ए.) आदि मिलते हैं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य हैं और जैसा कि सी.एस.आई.आर. पर लागू होता है। परिषद के कर्मचारी सी.एस.आई.आर. आवास आवंटन नियम-2022 के अनुसार, अपनी पात्रता की श्रेणी के अनुसार आवास पाने के पात्र हैं, जो उपलब्धता पर निर्भर करता है, जिस स्थिति में मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) स्वीकार्य नहीं होगा। परिस्थितिनुसार पदधारी को सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. स्टाफ क्वार्टर में रहना अनिवार्य हो सकता है।

C. ऊपर दर्शाई गई परिलब्धियों के अतिरिक्त, सी.एस.आई.आर. के नियमों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, कंप्यूटर अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम जैसे लाभ भी उपलब्ध हैं।

D. सामान्य नियुक्ति का स्थान सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल., जमशेदपुर है, जिसमें चेन्नई में स्थित इसका केंद्र भी शामिल है। हालांकि, नियुक्त व्यक्ति को सक्षम प्राधिकरण के विवेकानुसार सी.एस.आई.आर. की किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान, उनके फील्ड सेंटरों/क्षेत्रीय केंद्रों के किसी भी अनुभाग/प्रभाग में, भारत के किसी भी भाग में कार्य के लिए तैनात किया जा सकता है।

E. सी.एस.आई.आर. समय-समय पर संशोधित सी.एस.आई.आर. प्रशासनिक सेवा (भर्ती एवं पदोन्नति) नियम, 2020 के प्रावधान के तहत उत्कृष्ट कैरियर उन्नति प्रदान करता है।

F. **पद पर नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 तथा अन्य सेवा नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगी, जो परिषद् सेवक पर लागू होंगे तथा उनकी प्रयोज्यता के संबंध में सी.एस.आई.आर. का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।**

2. अन्य शर्तें :

A. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

B. सभी आवेदकों के पास पद के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए तथा विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करनी चाहिए। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे स्वयं को संतुष्ट कर लें कि उनके पास पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं हैं, जो कि अनिवार्य है, भले ही उम्मीदवार के पास कुछ अन्य उच्च योग्यताएं हों। **पात्रता के बारे में सलाह मांगने वाली पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा ।**

C. अभ्यर्थी को आवेदन में संबंधित क्षेत्र में सभी योग्यताएं और अनुभव (यदि कोई हो) का उल्लेख करना चाहिए तथा दस्तावेजों के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विवरण पूर्ण और सटीक हैं।

D. सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. को इस विज्ञापन में नियम व शर्तों को संशोधित करने, हटाने या जोड़ने का अधिकार है।

E. समकक्ष खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो उम्मीदवार को इस संबंध में आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो (संख्या और दिनांक के साथ) जिसके तहत इसे ऐसा माना गया है अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। योग्यता(ओं) की समतुल्यता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों/बोर्डों/परिषदों की मान्यता के संबंध में सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल./सी.एस.आई.आर. का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

F. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी प्रतिलिपि (ट्रांस्क्रिप्ट), राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा सत्यापित करके प्रस्तुत करनी होगी।

G. ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में दर्ज तिथि से मेल खानी चाहिए। जन्मतिथि में बदलाव के लिए बाद में किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

H. अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा और/या प्रवीणता परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

I. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन और परीक्षा के संचालन का तरीका, परीक्षा का स्थान आदि से संबंधित सभी मामलों में सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल./सी.एस.आई.आर. का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। उम्मीदवार की ओर से किसी भी व्यक्ति या एजेंसी से इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

J. **किसी भी रूप में प्रचार करना और/या किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।**

K. निदेशक, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने या आवश्यकता पड़ने पर पद न भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ऊपर दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या बदल सकती है; अर्थात वास्तविक चयन के समय इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है। चयन प्रक्रिया सी.एस.आई.आर./भारत सरकार के निर्देशों के अधीन है जो चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान तत्समय पर लागू होते हैं।

L. चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने की तिथि से **दो वर्ष के लिए परिवीक्षा** पर रहेगा । सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

M. आवेदकों को आवेदन पत्र में यह बताना होगा कि क्या उनका कोई करीबी या रक्त संबंधी सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. या सी.एस.आई.आर. या सी.एस.आई.आर. की किसी अन्य प्रयोगशाला/संस्थान का कार्मिक है।

N. **अयोग्यताएं:** कोई भी व्यक्ति; **(क)** जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं; या **(ख)** जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है, परिषद सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

O. **अनंतिम उम्मीदवारी:** इस विज्ञापन के तहत पदों के लिए आवेदन करने मात्र से यह आवश्यक नहीं है कि चयन स्पष्ट रूप से या निहित रूप से हो गया है। प्रतियोगी लिखित परीक्षा और प्रवीणता परीक्षा के लिए उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। चयन प्रक्रिया के सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने और चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान किसी निश्चित समय पर प्रचलित सभी सी.एस.आई.आर./भारत सरकार के निर्देशों को संतुष्ट करने के अधीन चयन होगा।

P. इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी जैसे परीक्षण की तिथि, समय और स्थान, परिशिष्ट/शुद्धिपत्र या पदों की संख्या में कोई परिवर्तन/पदों का रद्दीकरण आदि केवल सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. वेबसाइट https://nml.res.in के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट https://nml.res.in देखते रहें।

Q. इस विज्ञापन के हिन्दी संस्करण एवं अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार का अंतर होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

R. **किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

3. आयु सीमा एवं छूट:

A. कनिष्ठ आशुलिपिक के पदों के लिए आयु सीमा 18-27 वर्ष तथा कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सा./वि. व ले./भं. व क्र.) के पदों के लिए आयु सीमा 18-28 वर्ष है।

B. भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, केवल उन मामलों में जहां पद संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित है, ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के लिए 03 वर्ष की छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि निर्धारित प्रारूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। **अन्य पिछड़ा वर्ग (एन.सी.एल.) के लिए प्रारूप/घोषणा (अनुलग्नक-II और IIa); अनुसूचित जाति; अनुसूचित जनजाति (अनुलग्नक-I)**

C. सी.एस.आई.आर. विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, बशर्ते उनके पास निर्धारित योग्यता हो। सी.एस.आई.आर. विभागीय उम्मीदवारों का मतलब केवल स्थायी सी.एस.आई.आर. कर्मचारी हैं, न कि अस्थायी/अनुबंधित/परियोजना कर्मचारी आदि।

D. विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और पति से न्यायिक रूप से अलग हो चुकी महिलाओं जो पुनर्विवाहित नहीं हैं, के लिए आयु में छूट: ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष की आयु तक छूट योग्य है (अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में 40 वर्ष तक)। इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

I. विधवा के मामले में: उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा एक शपथ पत्र कि उसने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है;

II. तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में: तलाक या न्यायिक पृथक्करण के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में एक शपथपत्र के साथ कि उन्होंने तब से पुनर्विवाह नहीं किया है।

E. **बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को रियायत/छूट**

1. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.बी.डी.) के लिए आयु में छूट: ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए 15 वर्ष और अ.पि.व. (एन.सी.एल.) उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष, केवल उन मामलों में जहां पद संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित है) उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो (ए) अंधेपन या कम दृष्टि (बी) बधिर और सुनने में कठिनाई (सी) मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मांसपेशी डिस्ट्रॉफी सहित चलने-फिरने में अक्षमता (डी) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी; (ई) बहरा-अंधापन सहित खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक दिव्यांगता से

पीड़ित हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को आयु में रियायत इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि पद बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित है या नहीं। किसी भी मामले में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति भारत सरकार / सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. / सी.एस.आई.आर. द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत पद के लिए निर्धारित चिकित्सा योग्यता के मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगी। **[पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप (अनुलग्नक- IV, IVA और IVB]**

2. सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. सामाजिक न्याय मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III दिनांक 04.01.2021 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता पर विचार करेगा:

पद का नाम	कार्यात्मक आवश्यकता	बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी
कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सा./वि. व ले./भं. व क्र.)	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी, एमएफ	ए) बी, एलवी बी) डी, एचएच सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई d) एएसडी (एम, एमओडी), आईडी, एसएलडी, एमआई ई) ऊपर्युक्त (ए) से (डी) तक के एमडी
कनिष्ठ आशुलिपिक	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी, एमएफ	ए) बी, एलवी बी) एचएच सी) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई d) एएसडी (एम, एमओडी), आईडी, एसएलडी, एमआई ई) ऊपर्युक्त (ए) से (डी) तक के एमडी

प्रयुक्त संक्षिप्तीकरण:

शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति: बी=दृष्टिहीन, एलवी=कम दृष्टि, डी=बहरा, एचएच=सुनने में कठिनाई, ओए=एक हाथ, ओएल=एक पैर, बीए=दोनों हाथ, बीएल=दोनों पैर, ओएएल=एक हाथ और एक पैर, सीपी=सेरेब्रल पाल्सी, एलसी=कुष्ठ रोग ठीक हो चुका है, डीडब्ल्यू=बौनापन, एएवी=एसिड अटैक पीड़ित, एमडीवाई=मांसपेशियों की दुर्बलता, एएसडी=ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एम=हल्का, एमओडी=मध्यम), आईडी=बौद्धिक दिव्यांगता, एसएलडी=विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, एमआई=मानसिक बीमारी, एमडी=एकाधिक दिव्यांगता

शारीरिक आवश्यकताएँ: एस=बैठना, एसटी=खड़े होना, डब्ल्यू=चलना, बीएन=झुकना, एमएफ=उंगलियों से संचालन, आरडब्ल्यू=पढ़ना और लिखना, एसई=देखना, एच=सुनना, सी=संचार।

3. प्रतिपूरक समय और सहायक लेखक का प्रावधान:

3.1. दृष्टिहीनता, श्रवणातीत दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित - बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात (सिरिब्रल पाल्सी) श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) वाले व्यक्तियों के लिए, यदि उम्मीदवार द्वारा इच्छित हो तो स्क्राइब (लिखने वाले सहायक) की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

3.2. बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) की शेष श्रेणियों के मामलों में, परीक्षा के समय यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लेखन सहायक (स्क्राइब) की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक असमर्थता

है और उसके स्थान पर परीक्षा लिखने के लिए लेखन सहायक (स्क्राइब) आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनुलग्नक-V (Annexure-V) में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी होना चाहिए।

3.3. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-DD-II के अनुसार 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को भी लेखन सहायक (स्क्राइब) की सुविधा प्रदान की जाएगी। **अनुलग्नक-VA के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।**

3.4. दिव्यांग उम्मीदवारों को स्क्राइब/पैसेज रीडर की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब वह इस संबंध में ई-मेल आईडी recruitment2025@admn.nml.in पर ई-मेल लिखेंगे।

3.5. अभ्यर्थियों को अपने लिए स्वयं लेखन सहायक (स्क्राइब) चुनने अथवा सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. द्वारा उपलब्ध कराई गई लेखन सहायक (स्क्राइब) की सुविधा का लाभ उठाने का विवेकाधिकार होगा।

3.6. यदि उम्मीदवार अपना स्वयं का लेखन सहायक (स्क्राइब) चुनता है, तो लेखक की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक कदम नीचे होनी चाहिए। बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) वाले उम्मीदवारों को स्वयं का लेखक चुनने पर **अनुलग्नक-VI** में दिए गए प्रोफ़ॉर्मा के अनुसार परीक्षा के समय स्वयं के लेखक का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

3.7. पैरा 3.3 के अनुसार लेखन सहायक (स्क्राइब) के लिए पात्र दिव्यांग उम्मीदवार (PwD) और स्वयं स्क्राइब का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के समय **अनुलग्नक-VIA में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा**। इसके अलावा, स्क्राइब को परीक्षा के समय मूल रूप में वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.8. उम्मीदवार और लेखक द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र की फोटोकॉपी **अनुलग्नक-VI / अनुलग्नक-VIA में दिए गए प्रोफार्मा के साथ जमा की जाएगी।** यदि बाद में यह पाया जाता है कि लेखक की योग्यता उम्मीदवार द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो उम्मीदवार पद पर अपना अधिकार और उससे संबंधित दावे खो देगा।

3.9. यदि कोई उम्मीदवार अपना स्वयं का लेखन सहायक (स्क्राइब) चुनता है, तो उस स्थिति में, वह लेखन सहायक (स्क्राइब) इस परीक्षा का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में किसी अन्य PwBD/PwD उम्मीदवार की लेखन सहायक (स्क्राइब) के रूप में सहायता करता पाया जाता है, तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

3.10. जिन उम्मीदवारों, जैसा कि ऊपर पैरा 3.1, 3.2 और 3.3 में वर्णित है, को लेखन सहायक (स्क्राइब) के उपयोग की अनुमति दी गई है, उन्हें प्रति घंटे की परीक्षा में 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा,

3.11. ऊपर्युक्त पैरा 3.1, 3.2 और 3.3 में उल्लिखित उम्मीदवार जो लेखक का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन लेखन सहायक (स्क्राइब) की सुविधा का लाभ नहीं उठाने वाले अभ्यर्थियों को भी परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

3.12. पात्र अभ्यर्थियों के लिए लेखन सहायक (स्क्राइब) के अलावा किसी अन्य परिचारक को परीक्षा हॉल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.13. एक आँख वाले उम्मीदवार और आंशिक रूप से नेत्रहीन उम्मीदवार जो सामान्य प्रश्न पत्र को आवर्धक लेंस के साथ या उसके बिना पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लेंस की मदद से उत्तर लिखना / इंगित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा

हॉल में इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें लेखक की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में अपना आवर्धक लेंस लाना होगा।

3.14. जिन दिव्यांग उम्मीदवारों ने स्क्राइब/पैसेज रीडर और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें टेस्ट के समय और दस्तावेज़ सत्यापन के समय स्क्राइब/प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

3.15. शारीरिक अक्षमता के कारण टंकण टेस्ट देने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य होने का दावा करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. की पूर्व स्वीकृति से ऐसी परीक्षा में उपस्थित होने और उत्तीर्ण होने की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसा उम्मीदवार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, यानी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सिविल सर्जन से निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक-VII) में एक प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करे, जिसमें उसे शारीरिक अक्षमता के कारण टंकण टेस्ट के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो। इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों को टंकण टेस्ट के समय, इस विज्ञापन के **अनुलग्नक-IV से अनुलग्नक-IVB के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपने दावे को पुष्ट करना चाहिए** । अन्यथा टंकण टेस्ट से छूट पाने के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

F. **भूतपूर्व सैनिकों के मामले में रियायत/छूट**

1. इस विज्ञापन में कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सा./वि. व ले./भं. व क्र.) के लिए अधिसूचित कुल पदों में से एक पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।

2. भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में छूट उपलब्ध है : ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के पश्चात 03 वर्ष।

3. जिन भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पश्चात नियमित आधार पर सरकार के अधीन ग्रुप सी एवं/या डी पदों पर सिविल सेवा में रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे ईएसएम श्रेणी में आरक्षण और शुल्क रियायत के लिए पात्र नहीं हैं।

4. हालांकि, ऐसे अभ्यर्थी आगामी रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, यदि उन्होंने सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद, विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदनों के तिथिवार विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन दिया है, जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था, जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014 - स्था. (आरक्षण) में उल्लिखित है।

5. सशस्त्र बलों में भूतपूर्व सैनिक की "कॉल-अप सेवा" की अवधि को भी नियमों के अनुसार आयु में छूट के प्रयोजनार्थ सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

6. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक को पद/सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के प्रासंगिक समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लेना चाहिए अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपनी अर्जित पात्रता को सिद्ध करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं में सेवा की निर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी प्राप्त कर लेना चाहिए।

7. भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पदों में पुन: रोजगार) नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिकों के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है और सरकार द्वारा जारी निर्देशों में DoP&T का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/2021-स्था. (Res.II)

दिनांक 27.02.2023, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान करता है: - “सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवार सिविल पदों पर आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे जब वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष भर्ती/परीक्षा आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सशस्त्र बल सेवा की निर्धारित अवधि पूरी कर लेंगे। बशर्ते, जब चयन प्रक्रिया आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लेती है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के बाद खुद को सशस्त्र बलों से मुक्त कर लिया है। “ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक नियमों के परिशिष्ट-V (A) और V (B) [इस विज्ञापन के अनुलग्नक-VIII और IX] के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र और वचनबद्धता भी अपने पास रखना आवश्यक है।

8. स्पष्टीकरण: "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :

8.1. जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायुसेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, और ; (i) जो या तो अपने स्वयं के अनुरोध पर या पेंशन प्राप्त करने के बाद नियोक्ता द्वारा सेवामुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या सेवामुक्त हुआ हो; या (ii) जो सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से कार्यमुक्त हुआ हो और उसे चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन दी गई हो; या (iii) जो प्रतिष्ठान में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त हुआ हो; या

8.2. जो नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी के माध्यम से, या कदाचार या अकुशलता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया हो और उसे ग्रेच्युटी दी गई हो, और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात् निरंतर सेवा या अर्हक सेवा के खंडित अवधियों के लिए पेंशन धारक; या

8.3. सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापस आए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन दी गई है; या

8.4 कार्मिक, जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

8.5 प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या

8.6 भूतपूर्व भर्ती किए गए ऐसे व्यक्ति जिन्हें चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किया गया है या जिन्हें चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन दी गई है। एक मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सेना से शिक्षा का विशेष प्रमाण पत्र या नौसेना या वायु सेना में संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है), जिसने संघ के सशस्त्र बलों में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक कम से कम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे केवल ईएसएम के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध समूह "सी" पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा। इस प्रकार, वे मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, वे इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं।

9. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. [एनसीएल]/ई.डब्ल्यू.एस./पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के साथ केंद्र सरकार के तहत पदों की नियुक्ति के लिए मान्य निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए सक्षम प्राधिकारी,

सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इन सभी प्रमाण पत्रों की सत्यता स्थापित होने तक उम्मीदवार की उम्मीदवारी/नियुक्ति अनंतिम रहेगी।

10. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों में कार्यरत आवेदकों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

11. भारत सरकार/सी.एस.आई.आर. के अनुदेशानुसार कुछ अन्य श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

12. ई.डब्ल्यू.एस. के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास डीओपीएंडटी के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था. (आरक्षण) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है। **[ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप (अनुलग्नक- III)]**

1. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों को सी.एस.आई.आर.- एन.एम.एल. वेबसाइट https://nml.res.in में ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन के निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

A. योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को केवल CSIR-NML वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक CSIR-NML की वेबसाइट यानी **https://nml.res.in** पर 06.05.2025 (पूर्वाह्न 11.00 बजे) से 30.05.2025 (अपराह्न 05:00 बजे) तक उपलब्ध रहेगा। आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन का आवेदन पोर्टल **https://itapps.nmlindia.org/JSAnJST/** है।

B. उम्मीदवारों को इस विज्ञापन में सभी पदों के लिए विचार किए जाने के लिए एक पोस्ट कोड के विरुद्ध केवल एक आवेदन जमा करना आवश्यक है। यदि कोई उम्मीदवार दोनों पोस्ट कोड के विरुद्ध आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक के विरुद्ध अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा और प्रयोज्यता के अनुसार दोनों पदों के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। हालाँकि, पंजीकरण केवल एक बार ही किया जाना आवश्यक है। किसी भी एक पोस्ट कोड के विरुद्ध उम्मीदवार द्वारा दो या अधिक आवेदन करने पर ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

C. **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने की अंतिम तिथि/समय का इंतजार किए बिना, ऑनलाइन आवेदन पत्र पहले ही जमा कर दें। सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. किसी भी कारण से आवेदन पत्र जमा न करने और/या आवेदन शुल्क का भुगतान न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।**

D. उम्मीदवारों के पास एक वैध और सक्रिय व्यक्तिगत ई-मेल आईडी होना आवश्यक है जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। इस ईमेल आईडी का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है। यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ईमेल आईडी बनानी चाहिए।

E. अभ्यर्थियों को अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर स्कैन करके अपलोड करना आवश्यक है।

F. फोटोग्राफ [बिना टोपी, चश्मे और दोनों कान सामने से दिखाई देने वाला चेहरा; (आकार 15KB से 30 KB) और उम्मीदवार के हस्ताक्षर [सादे सफेद कागज पर काली स्याही से; आकार 05 KB से 20 KB] अपेक्षित विनिर्देश के अनुसार होने चाहिए। हस्ताक्षर बड़े अक्षरों में नहीं होने चाहिए।

G. एसबी कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके **500/- (केवल पाँच सौ) रुपये का आवेदन शुल्क** होगा ⟶ (कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए एसबी कलेक्ट पर क्लिक करें) ⟶ (किसी भी श्रेणी का चयन करें आवेदन शुल्क का प्रकार चुनें ⟶ आवेदन का प्रकार चुनें) ⟶ नियमित नियुक्ति] अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/दिव्यांग/महिला/सी.एस.आई.आर. कर्मचारी/केवल वे भूतपूर्व सैनिक जो आरक्षण श्रेणियों के लिए पात्र हैं, उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। भुगतान करने पर, प्राप्त रसीद को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

H. विश्वविद्यालयों/संस्थानों/बोर्डों/परिषदों द्वारा सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आदि प्रदान करने के मामले में, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्डों/परिषदों के अनुसार फार्मूले के आधार पर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर इसका उल्लेख करें।

I. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, आवेदकों को भविष्य के संदर्भ के लिए कंप्यूटर-जनरेटेड आवेदन को सुरक्षित रखना होगा।

J. एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जाएगा तथा भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

K. सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों के आवेदनों पर वर्तमान नियोक्ताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के साथ विचार किया जाएगा। यदि उम्मीदवार अपेक्षित एनओसी संलग्न नहीं कर सकता है, तो वह इस विज्ञापन के लिए अपने आवेदन के लिए एनओसी प्राप्त करने हेतु वर्तमान नियोक्ता को प्रस्तुत किए गए अनुरोध की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित एनओसी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। उक्त एनओसी में सतर्कता मंजूरी भी दर्ज की जानी चाहिए।

L. ऑनलाइन आवेदन, आवेदन पत्र में किए गए सभी दावों के समर्थन में स्व-सत्यापित दस्तावेजों के बिना, हस्ताक्षर, फोटो और अपलोड किए गए दस्तावेजों फोटो, हस्ताक्षर में से किसी के धुंधले होने की स्थिति में भी विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय किसी भी तकनीकी समस्या/मुद्दे के मामले में हेल्पलाइन ई-मेल आईडी **recruitment2025@admn.nml.in है ।**

M. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम, परीक्षण की तिथि और समय आदि / इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अन्य विवरण / अपडेट / शुद्धिपत्र / परिशिष्ट आदि के बारे में सभी आगे की घोषणाएं केवल सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nml.res.in पर समय-समय पर प्रकाशित / प्रदान की जाएंगी ।

N. निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन करके [अधिकतम 4.5 एम.बी. की एकल पीडीएफ फाइल के रूप में] ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है:

i. 10 वीं / मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र;
ii. 12 वीं इंटरमीडिएट / 10+2 प्रमाणपत्र और अंक पत्र;
iii. परीक्षा शुल्क भुगतान रसीद की प्रति, यदि कोई हो;

iv. निम्नलिखित घोषणा, जो अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्तलेख में सादे सफेद कागज पर काली स्याही की कलम से लिखी जानी है:

मैं______________________________ (उम्मीदवार का नाम) एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. के भर्ती **विज्ञापन संख्या 02/2025** के तहत मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है। मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी झूठी या गलत पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/समाप्त की जा सकती है और मेरे खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जा सकती है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक सहित

v. अन्य शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र

vi. दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र, जिसमें उस प्राधिकारी (संख्या और तारीख के साथ) का उल्लेख हो जिसके तहत इसे ऐसा माना गया है, यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशिष्ट योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है।

vii. जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों (एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ई.डब्ल्यू.एस.) से संबंधित हो

viii. आवश्यक प्रारूप में बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

ix. भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए:
अनुलग्नक-IX के अनुसार वचनबद्धता
अनुलग्नक-VIII के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र , यदि लागू हो
(ग) सशस्त्र बलों से डिस्चार्ज मिलने पर डिस्चार्ज प्रमाण पत्र / पीपीओ

x. यदि आयु में छूट की मांग की जा रही हो तो कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र

xi. यदि पहले से ही सरकारी विभाग / सरकारी उपक्रम / स्वायत्त निकाय / सी.एस.आई.आर. या इसकी प्रयोगशालाओं / संस्थानों में कार्यरत हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र।

xii. जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह, पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन का दावा करता है, उसे ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे:

(क) महिलाओं के विवाहित होने की स्थिति में: पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें नाम दर्शाया गया हो या पति-पत्नी का शपथ पत्र या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ पति-पत्नी का शपथ पत्र;

(ख) महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: पहले पति या पत्नी के संबंध में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति या पत्नी का नाम हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेकर पति और पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ;

(ग) महिलाओं के तलाक के मामले में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथपत्र के साथ तलाक डिक्री और डीड पोल/शपथपत्र की प्रमाणित प्रति;

(घ) अन्य परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम परिवर्तन के लिए: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ पत्र/डीड पोल और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

2. <u>कदाचार/अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई</u>

उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय कोई भी गलत, छेड़छाड़ किया हुआ या मनगढ़ंत विवरण न दें और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छिपाएँ। परीक्षा, साक्षात्कार या बाद की चयन प्रक्रिया के समय, यदि कोई उम्मीदवार दोषी पाया जाता है (या पाया गया है)-

a. अनुचित साधनों का प्रयोग करना या

b. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण करवाना या

c. परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षण की सामग्री या उसमें दी गई किसी भी जानकारी को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुन: प्रस्तुत करना, प्रसारित करना, संग्रहीत करना या प्रसारण और भंडारण में सुविधा प्रदान करना।

d. अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके का सहारा लेना या

e. अनुचित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, या

f. परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या संचार के समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर, ऐसे उम्मीदवार पर न केवल आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, बल्कि निम्नलिखित का भी उल्लंघन किया जा सकता है:

- **I.** उस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिसके लिए वह अभ्यर्थी है।
- **II.** किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाना सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित
- **III.** सेवा समाप्ति के लिए, यदि वह पहले से ही संस्थान में शामिल हो गया है।

g. सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. मामले की रिपोर्ट पुलिस/जांच एजेंसियों को भी कर सकते हैं, जैसा उचित समझें और सक्षम प्राधिकारी संबंधित प्राधिकारियों/फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकते हैं।

हस्ता/-
प्रशासन नियंत्रक